

**जहरीली शराब के कारण मौतें**

158. श्री छीतू भाई गामित : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान जहरीली शराब पीने से मरने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य-वार किसी वर्ग विशेष का, जो बहुधा स्थानीय शराब (कच्ची शराब) पीते हैं, पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी० चव्हाण) : (क) से (ग). यह जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

**Housing Loans to Individual by H.U.D.C.O.**

159. SHRI ARJUN SETHI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government have decided to give loans to individuals for construction of houses through the Housing and Urban Development Corporation;

(b) whether the Planning Commission has also been asked to increase the allocation for construction of houses; and

(c) if so, the details regarding the conditions of loan, particularly to the economically weaker sections of the society?

THE MINISTER OF PARLIAMEN- TARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) Individuals, who form themselves into a cooperative housing society and fulfil other prescribed conditions, can get housing loans from HUDCO through the concerned State Apex Housing Finance Society. Where an Apex Society does not exist HUDCO finances the primary cooperative societies directly.

(b) The increased amounts has been proposed to the Planning Commission for the 6th Five-Year-Plan for the equity capital and loans to HUDCO from Govt./financial institutions.

(c) Some of the conditions/terms of loan meant for construction/development of tenements and sites for Economically Weaker Sections are as under:—

(i) the all-inclusive cost of the house meant for EWS has been fixed at Rs. 8,000 including the cost of land.

(ii) Rate of interest for loans is 5 per cent p.a.

(iii) Rate of interest for site and services programmes for EWS category is 4 per cent p.a.

(iv) The period of repayment of loan is the longest, viz., 20 years.

(v) 100 per cent loan is given for a house costing upto Rs. 5,000.

**Central Housing Funds for West Bengal**

160. SHRI BASUDEB ACHARYA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state the number of houses built in rural areas of West Bengal last year and the number to be built this year?

THE MINISTER OF PARLIAMEN- TARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): According the information furnished by the State Government

21,700 houses were constructed during 1979-80 in the rural areas of West Bengal. In their Annual Plan 1980-81, the State Government has proposed a target of construction of 21,700 houses in rural areas.

### ग्रामीण पुनर्निर्माण के अन्तर्गत ग्रामीण गृहों की परियोजना

161. श्री राम लाल राही : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास, ग्रामीण पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में गृहविहीन ग्रामीण लोगों को आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए, कोई परियोजना है ; और

(ख) क्या अब तक लोगों को कोई उपयुक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है और यदि हां, तो उससे उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को लाभ मिला ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह):  
(क) जी, हां ।

(ख) आवास स्थल और झोंपड़ी निर्माण योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के परिवारों को लगभग 100 वर्गगज वाले आवास स्थल दिए जाते हैं और मकान बनाने के लिए भिन्न-भिन्न दरों पर सहायता दी जाती है । उत्तर प्रदेश में, 12,40,340 पात्र परिवारों में से, अब तक 12,37,096 परिवारों को आवास स्थल दिए गए हैं, 1,026 परिवारों को मकान दे दिए गए हैं और 689 मकान निर्माणाधीन हैं ।

### राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में राष्ट्र भाषा का प्रयोग

162. श्री राम लाल राही : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के काम काज में अंग्रेजी का प्रयोग करने और राष्ट्रभाषा अथवा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बं. रे. द्र सिंह) : राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को खाद्य तथा कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपातकालीन निधि (यूनिसेफ) एशियाई तथा प्रशान्तीय क्षेत्र हेतु समन्वित ग्राम विकास केन्द्र तथा अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सम्पर्क करना होता है । इन संगठनों की ओर से सामूहिक देशों की अनेक कार्यशालाएं/विचार गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं तथा सभी देशों द्वारा स्वीकार्य तथा समझी जाने वाली संचार की भाषा केवल अंग्रेजी है । यह संस्थान राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यशालायें और गोष्ठियां आयोजित करता है, जिनमें केवल अंग्रेजी ही सम्पर्क की संभव भाषा होती है । इसके अलावा, संस्थान का गैर-हिन्दी भाषी राज्यों से भी सम्पर्क रहता है तथा इस लिए इसे उनके साथ पत्राचार में अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है । अनुसंधान रिपोर्ट भी अंग्रेजी में ही रखनी होती है क्योंकि ये प्रकाशन सम्पूर्ण भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए होते हैं ।